

Title: Need to streamline the implementation of Member of Parliament Local Area Development Scheme in Jharkhand.

**श्री स्वीन्द कुमार पाण्डेय (गिरिडीह):** महोदया, झारखंड राज्य में एमपीलैड स्कीम के तहत जारी निधि का खर्च उचित ढंग से नहीं होने के कारण विकास कार्य बाधित है जबकि सांसदों की अनुशंसा के आलोक में संबंधित जिला कलेक्टर को कार्यों का तत्परता से निष्पादन करना चाहिए ताकि एक्सपेंडीचर रिपोर्ट भारत सरकार तक आए। वर्तमान में झारखंड राज्य में एमपीलैड स्कीम में जिला कलेक्टर द्वारा टेंडरिंग की बात कही जा रही है जबकि झारखंड राज्य में झारखंड सरकार की जो एजेंसीज़ हैं, चाहे वह जिला परिषद हो, पीएचडी हो, आईओ हो, इन सारी संस्थाओं द्वारा कार्य निष्पादन किया जाए ताकि उसे अविलंब पूरा किया जा सके।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सांसद निधि के दो करोड़ रुपये को अविलंब बढ़ाने की बात हो ताकि कार्य का निष्पादन किया जा सके, नहीं तो इसे समाप्त कर दिया जाए, चूंकि दो करोड़ रुपये में सांसद निधि से कोई कार्य नहीं हो सकता।...(व्यवधान) भारत सरकार की योजना में सांसदों की भागीदारी हो ताकि वे अपने क्षेत्र का काम करवा सकें।